उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्या– / XVIII(II)/2020–01(24)/2011
देहरादूनः दिनांकः 10 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) की धारा–168 में यह उपबन्ध करती है कि किसी भूमि के ऐसे टुकड़े का कोई संक्रमण, जिसकी राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में प्रवृष्टि नहीं की गयी थी, शून्य समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को संक्रमण फीस, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, जमा करके विधिमान्य करा सकेगा, के विधिमान्यकरण हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने अनुमति प्रदान करते हैः–

(1) धारा–168 के अन्तर्गत भूमि के ऐसे टुकड़े के संक्रमण जो शून्य हो गया था, के विधिमान्यकरण के लिए समय–सीमा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी।
(2) विधिमान्य शुल्क अन्तिम क्रेता द्वारा जमा कराया जा सकेगा।
(3) विधिमान्यकरण के लिए शुल्क की गणना वर्ष–2018 के सर्किल रेट के 10 प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।
(4) विधिमान्यकरण के लिए शुल्क (निर्माण को छोड़कर) मात्र विकित भूमि पर लिया जायेगा।
(5) विधिमान्यकरण हेतु आवेदन परगना के सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं सहायक कलेक्टर द्वारा 30 दिन (एक माह) के अन्दर प्रकरण निस्तारित किया जायेगा।

3– उक्त शुल्क लेखा शीर्षक–0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियां–08 मालिकाना राजस्व–0806 प्रकीर्ण प्राप्तियां के अधीन जमा किया जायेगा।

4– उपरोक्त आदेश जनपद हरिद्वार में ही लागू होगा।

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या– 746/XVIII(II)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डॉ आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

(देवानन्द)
प्र. उप राजस्व आयुक्त (भू.व्य.)
राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून